

प्रेषक ,

अबरार अहमद

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष

लोक निर्माण विभाग

30 प्र0 लखनऊ

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक:07 सितम्बर,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में एन.एच.-234 के तिरवा से बेला तक (चैनेज 142.000 से 123.000 तक) का 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य को रु. 13936.05 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 1393.60 लाख (रुपये तेरह करोड़ तिरान्वे लाख साठ हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी :-

- 1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
- 2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 3- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-4-2015 दिनांक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुभवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये निम्नलिखित सूचनायें स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्तर्गत शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जायें:-

अ- परियोजना प्रबंधक का नाम/पदनाम

ब- परियोजना प्रबंधक का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी

(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)

स- परियोजना की अनुमानित/वास्तविक प्रारम्भ तिथि

द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

- 4- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुए प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियाँ का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेंडर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/ अनापत्तियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार पर कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

- 5- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

- 6- प्रश्नगत कार्यों के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

- 7- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 8- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9- सड़क की लम्बाई/चौड़ाई में वृद्धि, नया कार्य एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10- परियोजनाओं के लिए धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पीओएल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपॉजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या- ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।
- 11- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- राजकोष से आहरित धनराशि की वार्षिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 13- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।
- 14- परियोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान है, अतः भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 15- परियोजना में ईशन नदी पर ब्रिक आर्च सेतु किमी0-21 में बड़ी नहर पर सिंचाई विभाग का निर्मित सेतु तथा किमी0-27 में अरिन्द नदी पर निर्मित पुराना आर्च सेतु के स्थान पर नया पुल निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अतः इन पुराने सेतुओं के मलवे की सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत नीलामी कर नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 17- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 18- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। तदनुसार नियोजन विभाग की वेबसाइट (<http://planning.up.nic.in/>) पर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को अद्यावधिक किया जायेगा।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित निष्पत्ति उपलब्ध करायी जायेगी।
अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, 307/2016/1251(1)/35-4-2016 दिनांक 10
द्वारा शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनांक 10 अप्रैल 2016 को
का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। तदनुसार निम्नलिखित विभाग के
(http://planning.up.nic.in/) पर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की अपेक्षा

- 22- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को प्रेषित
उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 23- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा शासनादेश
के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण
सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता
को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 - 24- यथावश्यक द्वािवाचि से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराया
जाय।
 - 25- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक्रम में अनुदान संख्या-10
आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कों-337
सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिए एकमुश्त
व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-893/दस-2016 दिनांक-05 सितम्बर, 2016 में प्राप्त
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 307/2016/1251(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
- 4-प्रमुख सचिव, वित्त।
- 5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
- 6-संयोजक, कानपुर।
- 7-जिलाधिकारी, कन्नौज।
- 8-सहाय्य विकास अधिकारी कन्नौज।
- 9-विकास कोषाधिकारी, कन्नौज।
- 10-गाई फाइल।

11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5

12-राज्य योजना आयोग-1

13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

14-अधिसासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड, कन्नौज।

Copy to AIAES / JE(T) / DAO / Cashier

आज्ञा से

(अवरार अहमद)
विशेष सचिव।